


कार्यालय:- जिला परिषद्, लातेहार।

बस पड़ाव की बन्दोबस्ती वर्ष 2016-17

क्र	प्रखण्ड	सैरात का नाम	थाना	बन्दोबस्ती का समय	वर्ष 2014-15 की बन्दोबस्ती की राशि	वर्ष 2015-16 की बन्दोबस्ती की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	चन्दवा	हरैया पशु मेला, चन्दवा	चन्दवा	11:00 बजे पूर्वाह्न	381751.00	-
2	बालुमाथ	बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा)	बालुमाथ	12:00 बजे अपराह्न	-	474007.00
3		अषाढी पशु मेला बालुमाथ		1:00 बजे अपराह्न	-	184825.00

- नोट :- 1. निलामी की नियम एवं शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यालय अवधि में देखी जा सकती हैं तथा NIC Latehar के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
2. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय प्रमाण-पत्र/वोटर पहचान पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति (कोई एक) जमा करना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।


उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, लातेहार।


कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार।

सूचना

एतद् द्वारा सभी आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, रांची का अधिसूचना संख्या-1376 दिनांक-01.04.2015 तथा अंचलाधिकारी, बालुमाथ का पत्रांक-577 दिनांक-03.10.2015 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में लातेहार जिला परिषद, अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिए निम्नलिखित सैरातों की खुली डाक द्वारा दिनांक 21.03.2016 को समय 12:00 बजे उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार के डी0आर0डी0ए0 स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बन्दोबस्ती की जाएगी। जो व्यक्ति खुली डाक में भाग लेना चाहते हैं उक्त तिथि को डाक में भाग ले सकते हैं। डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को विगत वर्ष के बन्दोबस्ती की राशि का 50 प्रतिशत नगद जमा करना होगा तथा उच्चतम डाक वक्ता को एक मुश्त सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा कर देनी होगी अन्यथा डाक रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार को बिना कारण बताये डाक स्थगित करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।


क्र	सैरात का नाम	थाना	बन्दोबस्ती का समय	वर्ष 2015-16 की बन्दोबस्ती की राशि	जमानत की राशि
1	बालुमाथ पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा)	बालुमाथ	12:00 बजे अपराह्न	4,74,007.00	47,500.00
2	अषाढ़ी पशु मेला बालुमाथ		1:00 बजे अपराह्न	1,84,825.00	18,500.00


उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।

ज्ञापांक:- 181 दिनांक:- 17-03-016

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आरक्षी अधीक्षक, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालुमाथ/ अंचल अधिकारी, बालुमाथ तथा श्रीमती श्रीमती सुनीता देवी, बालुमाथ (पश्चिमी) जिला परिषद लातेहार को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
7. थाना प्रभारी, बालुमाथ को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
8. जिला अभियंता, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।

कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार।

सूचना

एतद् द्वारा सभी आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, रांची का अधिसूचना संख्या-1376 दिनांक-01.04.2015 तथा अंचलाधिकारी, चन्दवा का पत्रांक-121 दिनांक-16.03.2016 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में लातेहार जिला परिषद, अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक के लिए निम्नलिखित सैरातों की खुली डाक द्वारा दिनांक 21.03.2016 को समय 11:00 बजे उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार के डी0आर0डी0ए0 स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में बन्दोबस्ती की जाएगी। जो व्यक्ति खुली डाक में भाग लेना चाहते हैं उक्त तिथि को डाक में भाग ले सकते हैं। डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को विगत वर्ष के बन्दोबस्ती की राशि का 50 प्रतिशत नगद जमा करना होगा तथा उच्चतम डाक वक्ता को एक मुश्त सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा कर देनी होगी अन्यथा डाक रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी।

उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद लातेहार को बिना कारण बताये डाक स्थगित करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

क्र	सैरात का नाम	थाना	बन्दोबस्ती का समय	वर्ष 2014-15 की बन्दोबस्ती की राशि	जमानत की राशि
1	हरैया पशु मेला, चन्दवा	चन्दवा	11:00 बजे पूर्वाह्न	3,81,751.00	38,500.00

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।

ज्ञापांक:- 182 दिनांक:- 17-03-016

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, जिला परिषद, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आरक्षी अधीक्षक, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा/ अंचल अधिकारी चन्दवा तथा श्रीमती अनिता देवी, सदस्य चन्दवा (पूर्वी) जिला परिषद लातेहार को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
7. थाना प्रभारी, चन्दवा को नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
8. जिला अभियंता, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, लातेहार।